

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर


क्रमांक: आई.डी.एस.पी./2021/97

दिनांक: 16-04-21

—: आदेश :-

विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ/आईडीएसपी/कोरोना-19/2020/470 दिनांक 05.04.2020 के द्वारा कोविड-19 रोगी जिनमें हल्के लक्षण है या लक्षण नहीं है, उनकी देखभाल के लिए प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार 500-1000 आईसोलेशन बेड के कुल क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त आदेश की निरन्तरता में पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश में वर्णित समस्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।



(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव
चिकि० एवं स्वा० विभाग, जयपुर।

क्रमांक: आई.डी.एस.पी./2021/92

दिनांक: 16-04-21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
4. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज०।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज०।
7. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, सवाई मानसिंह महा विद्यालय, जयपुर।
8. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज०।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन, राज०।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी, राजस्थान।
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त निजी चिकित्सालय/होटल, राजस्थान।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
14. प्रभारी सर्वर रूम को ई-मेल करने बाबत।
15. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर